

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 317]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 10 अगस्त 2021—श्रावण 19, शक 1943

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 10 अगस्त 2021

क्र. एफ ए 3-12-2021-1-पांच (53).—मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्रमांक 19 सन् 2017) की धारा 164 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर नियम, 2017, का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) नियम, 2021 है.

(2) अन्यथा उपबंधित के सिवाय, ये नियम दिनांक 1 जून 2021 से प्रवृत्त होंगे.

2. मध्यप्रदेश माल और सेवा कर नियम, 2017 में,—

(i) नियम 26 के उपनियम (1) में चौथे परंतुक में, "31 मई, 2021" अंकों, अक्षरों और शब्दों, के स्थान पर, "31 अगस्त, 2021" अंकों, अक्षरों और शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा. इस नियम को मई, 2021 के 31वें दिन से लागू माना जाएगा.

(ii) नियम 36 के उपनियम (4) में, दूसरे परंतुक के स्थान पर, निम्न परंतुक को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“परन्तु यह भी कि उक्त शर्त अप्रैल, मई और जून 2021 की अवधि के लिए संचयी रूप से लागू होगी और जून, 2021 या जून, 2021 को समाप्त होने वाली तिमाही, की कर अवधि के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3ख की विवरणी, उक्त महीनों के इनपुट कर प्रत्यय का उपर्युक्त शर्तों के अनुसार संचयी रूप से समायोजन करके प्रस्तुत की जाएगी.”;

(iii) नियम 59 के, उपनियम (2) में, पहले परंतुक के बाद, निम्न परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“परन्तु यह भी कि रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, माह मई, 2021 के लिए, बीजक प्रस्तुत करने की सुविधा का उपयोग करते हुए, उक्त ब्यौरों को, जून 2021 के पहले दिन से 28वें दिन तक प्रस्तुत कर सकता है.”.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 10 अगस्त 2021

क्र. एफ ए 3-12-2021-1-पांच (53).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय का अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-12-2021-1-पांच (53), दिनांक 10 अगस्त, 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

Bhopal, the 10th August 2021

No. F A 3-12-2021-1-V(53).—In exercise of the powers conferred by Section 164 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the State Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following rules further to amend the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Madhya Pradesh Goods and Services Tax (Amendment) Rules, 2021.

(2) Save as otherwise provided in these rules, they shall come into force on 1st June, 2021.

2. In the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017,—

- (i) in sub-rule (1) of rule 26, in the fourth proviso, with effect from the 31st day of May, 2021, for the figures, letters and words “31st day of May, 2021”, the figures, letters and words “31st day of August, 2021” shall be substituted;
- (ii) in sub-rule (4) of rule 36, for the second proviso, the following proviso shall be substituted, namely:—

“Provided further that such condition shall apply cumulatively for the period April, May and June, 2021 and the return in **FORM GSTR-3B** for the tax period June, 2021 or quarter ending June, 2021, as the case may be, shall be furnished with the cumulative adjustment of input tax credit for the said months in accordance with the condition above.”;

- (iii) in sub-rule (2) of rule 59, after the first proviso the following proviso shall be inserted, namely:—

“Provided further that a registered person may furnish such details, for the month of May, 2021, using IFF from the 1st day of June, 2021 till the 28th day of June, 2021.”.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. P. SHRIVASTAVA, Dy. Secy.